

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 08 (स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 23.05.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष - 0008- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन० 2235602000008 मद में कुल 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार) रुपये प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 489/आ०प्र० दिनांक 24.05.2014 द्वारा अंचलाधिकारी, पटना सदर को उपावंटित किया जा चुका है।

पुनः उक्त शीर्ष में विशेष सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 65 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 13.10.2014 द्वारा 49.50 (उनचास लाख पच्चास हजार) रुपये को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014-15 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या-39) (यूनिट कोड-31 06 साहायक अनुदान वेतनादि के अलावा)

राशि (लाख रुपये में)

| क्रमांक | उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम | पूर्व उपावंटित राशि | वर्तमान उपावंटित राशि | योग |
|---------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01. | अंचल अधिकारी, पटना सदर | 1.50 | 00.00 | 1.50 |
| 02 | प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर | 0.00 | 49.50 | 49.50 |
| | योग | 1.50 | 49.50 | 51.00 |
| 03 | आवंटन के रूम में जिला में सुरक्षित | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल उपावंटित राशि :- | 1.50 | 49.50 | 51.00 |

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष - 200- अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष - 0008- गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन० 2235602000008 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय,

3. यह आवंटन प्रखंड कार्यालय, पटना सदर को दिनांक 03.10.2014 को गाँधी मैदान में रावण वध के दिन राम गुलाम चौक पर हुई भगदड़ में मृतकों के आश्रितों को भुगतान हेतु उपावंटित किया जाता है।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

६६१-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक

1539 / आ०प्र०, दिनांक 20/11/14

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पटना सदर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।